NSE

India@75 A guiding light, shining bright

National Stock Exchange of India Limited

Circular

DEPARTMENT: INSPECTION	
Download Ref No: NSE/INSP/55331	**Date: January 20, 2023**
Circular Ref. No: 06/2023	

To All Members,

Sub: Gazette Notification - Updates in Section 35 of UAPA, 1967

SEBI has shared a copy of the Gazette Notification in respect of 2 individuals and 1 organisation, which have been declared as 'Terrorists and Terrorist Organisation' respectively and have been listed in the First and Fourth Schedule of the UA(P) Act, 1967 under Section 35(1)(a) and 2(1)(m) of the UA(P) Act 1967.

The aforesaid Gazette Notification is enclosed as Annexure for ready reference. In this regard, members are advised to take note of the above and comply.

For and on behalf of
National Stock Exchange of India Limited

Harinatha Reddy M
Chief Manager

In case of any clarifications, Members may contact our below offices:

Regional Office	E MAIL ID	CONTACT NO.
Ahmedabad (ARO)	inspectionahm@nse.co.in	079- 49008632
Chennai (CRO)	inspection_cro@nse.co.in	044- 66309915 / 17
Delhi (DRO)	delhi_inspection@nse.co.in	011- 23459127 / 38 / 46
Kolkata (KRO)	inspection_kolkata@nse.co.in	033- 40400412 / 59
Mumbai (WRO)	compliance_wro@nse.co.in	Board Line: 022-25045000 / 022-61928200 Direct Line: 022-25045138 / 022-25045144 Extn: 28144/28138
Central Help Desk	compliance_assistance@nse.co.in	

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04012023-241667
CG-DL-E-04012023-241667

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 26] नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 4, 2023/पौष 14, 1944
No. 26] NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 4, 2023/PAUSHA 14, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जनवरी, 2023

का.आ. 29(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे संबंधित विषयों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क) और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है, यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, एज़ाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी पुत्र मुहम्मद अब्दुल्लाह अहंगर, जिसका जन्म 1974 में नवाकदल, श्रीनगर में हुआ, जो वर्तमान में अफगानिस्तान में रह रहा है, इस्लामिक स्टेट जम्मू-कश्मीर (आईएसजेके) का मुख्य भर्तीकर्त्ता है ;

और, उक्त एज़ाज अहमद अहंगर का अल-कायदा और अन्य वैश्विक आतंकी समूहों से निकट संबंध है और वह भारत में इस्लामिक स्टेट (आईएस) चैनलों को पुन:प्रारंभ करने में लगा हुआ है ;

और, उक्त एज़ाज अहमद अहंगर, कश्मीर को आतंकवाद की ओर झोंकने में लगा हुआ है और उसने अपने कश्मीर आधारित तंत्र में शामिल करने के लिए लोगों की पहचान करने की प्रक्रिया आरंभ की है ;

और, उक्त एज़ाज अहमद अहंगर को भारत में इस्लामिक स्टेट (आईएस) भर्ती सैल का प्रमुख नियुक्त किया गया है और वह ऑन-लाइन भारत-केंद्रित आईएसआईएस दुष्प्रचार पत्रिका प्रारंभ करने में सहायक रहा है ;

और, उक्त एज़ाज अहमद अहंगर, जम्मू-कश्मीर में दो दशकों से अधिक से वांछित आतंकवादी है और उसने विभिन्न आतंकवादी संगठनों के मध्य समन्वय चैनल बनाकर जम्मू-कश्मीर में आतंक संबद्धी रणनीति बनानी आरंभ कर दी है ;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि एज़ाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी आतंकवाद में शामिल है और उक्त एज़ाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं. 48 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :-

"49. एज़ाज अहमद अहंगर उर्फ अबू उस्मान अल-कश्मीरी "।

[फा. सं. 11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण :- विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ. 4679 (अ), तारीख 4 अक्तूबर, 2022 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th January, 2023

S.O. 29(E).— Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri son of Mohd. Abdullah Ahanger born in Nawakadal, Srinagar in 1974 presently based in Afghanistan is one of the chief recruiters of Islamic State Jammu and Kashmir (ISJK);

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger has close contacts with Al- Qaida and other Global Terrorist Groups and is engaged in restarting the Islamic State (IS) channels in India;

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger is working towards providing traction to militancy in Kashmir and has started the process of identifying people for inclusion in his Kashmir based network;

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger was appointed as head of Islamic State (IS) recruitment cell for India and had been instrumental in initiating an online India-centric ISIS Propaganda Magazine;

And whereas, the said Aijaz Ahmad Ahanger is a wanted terrorist in Jammu and Kashmir for more than two decades and has started planning terror related strategies in Jammu and Kashmir by building coordination channels between various terrorist organisations;

And whereas, the Central Government believes that Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri is involved in terrorism and the said Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 48 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"49. Aijaz Ahmad Ahanger @ Abu Usman Al-Kashmiri ".

[F. No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note:- The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O.4679 (E), dated the 4th October, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.04 22:47:48 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241699
CG-DL-E-05012023-241699

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944
No. 36] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली,5 जनवरी,2023

का.आ.39(अ).—विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम,1967(1967 का 37)(जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) को व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरूद्ध क्रियाकलापों के और प्रभावी निवारण करने के लिए तथा आतंकवादी क्रियाकलापों और उससे संबंधित मामलों से निपटने के लिए अधिनियमित किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 35 की उपधारा (1) का खंड (क)और उपधारा (2), केंद्रीय सरकार को उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में किसी व्यष्टि के नाम को जोड़ने के लिए सशक्त करता है,यदि उसका यह विश्वास है कि वह आतंकवाद में सम्मिलित है ;

और, मुहम्मद अमीन खुबैअब उर्फ अबू खुबैअब उर्फ पिन्ना उर्फ मुहम्मद अमीन बट पुत्र दाऊद भट, गांव कठवा, तहसील फग्सू, जिला डोडा, जम्मू का निवासी है, जो वर्तमान में पाकिस्तान में रहकर लश्कर-ए-तैयबा (एलईटी)के लांचिंग कमांडर के रूप में कार्य कर रहा है ;

और,लश्कर-ए-तैयबा उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची के क्रम सं.5 पर आतंकवादी संगठन के रूप में सूचीबद्ध है ;

और, उक्त मुहम्मद अमीन खुबैअब उर्फ अबू खुबैअब उर्फ पिन्ना उर्फ मुहम्मद अमीन बट ने सीमापार एजेंसियों से गहरे संबंध विकसित किए हैं और संघ राज्यक्षेत्र,जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र में एलईटी की आतंकवादी गतिविधियों को सक्रिय करने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है ;

और,उक्त मुहम्मद अमीन खुबैअब उर्फ अबू खुबैअब उर्फ पिन्ना उर्फ मुहम्मद अमीन बट, सीमापार से जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी हमलों के समन्वयन,आयुध या शस्त्र और विस्फोटकों की पूर्ति करने,आतंक का वित्तपोषण करने में सम्मिलित है ;

और,केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि मुहम्मद अमीन खुबैअब उर्फ अबू खुबैअब उर्फ पिन्ना उर्फ मुहम्मद अमीन बट आतंकवाद में शामिल है और उक्त मुहम्मद अमीन खुबैअब उर्फ अबू खुबैअब उर्फ पिन्ना उर्फ मुहम्मद अमीन बट को उक्त अधिनियम के अधीन एक आतंकवादी के रूप में जोड़ा जाना है ;

अतः,अब,केंद्रीय सरकार,विधिविरूद्ध क्रियाकलाप(निवारण)अधिनियम,1967 की धारा 35 की उपधारा (1 के खंड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :-

उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची में क्रम सं.49 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम सं.और प्रविष्टियां अंतः स्थापित की जाएगी,अर्थात् :-

"50. मुहम्मद अमीन खुबैअब उर्फ अबू खुबैअब उर्फ पिन्ना उर्फ मुहम्मद अमीन बट"।

[फा.सं.11034/09/2022-सीटी-I]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण : विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण)अधिनियम,1967 की चौथी अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्यांक का.आ.29(अ), तारीख 4 जनवरी,2023 द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 39(E).—Whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, clause (a) of sub-section (1) and sub-section (2) of section 35 of the said Act empowers the Central Government to add the name of an individual in the Fourth Schedule to the said Act, if it believes that he is involved in terrorism;

And whereas, Mohammed Amin Khubaiab @Abu Khubaiab @Pinna @Muhammed Amin Butt son of Dawood Bhat beloging to Village Kathawa, Tehsil Phagsoo, District Doda, Jammu presently based in Pakistan is acting as launching commander of Lashkar-E-Taiba (LeT);

And whereas, Lashkar-E-Taiba is listed as a terrorist organisation at serial No. 5 of the First Schedule to the said Act;

And whereas, the said Mohammed Amin Khubaiab @Abu Khubaiab @Pinna @Muhammed Amin Butt has developed a deep association with the cross border agencies and is playing a vital role to revive and accelerate terrorist activities of LeT in the Jammu Region of the Union Territory of Jasmmu and Kashmir;

And whereas, the said Mohammed Amin Khubaiab @Abu Khubaiab @Pinna @Muhammed Amin Butt has been involved in coordinating terrorists attacks, supply of arms or weapons and explosives, terror financing in Jammu and Kashmir from across the border;

And whereas, the Central Government believes that Mohammed Amin Khubaiab @Abu Khubaiab @Pinna @Muhammed Amin Butt is involved in terrorism and the said Mohammed Amin Khubaiab @Abu Khubaiab @Pinna @Muhammed Amin Butt is to be added as a terrorist under the said Act;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following amendment in the Fourth Schedule to the said Act, namely:-

In the Fourth Schedule to the said Act, after serial number 49 and entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

"50. Mohammed Amin Khubaiab @Abu Khubaiab @Pinna @Muhammed Amin Butt ".

[F.No. 11034/09/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note : The Fourth Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended *vide* the notification number S.O. 29 (E), dated the 4th January, 2023.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99

REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05012023-241705
CG-DL-E-05012023-241705

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 42] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 5, 2023/पौष 15, 1944
No. 42] NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 5, 2023/PAUSHA 15, 1944

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जनवरी,2023

का.आ. 45(अ).—विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) का अधिनियमन व्यष्टियों और संगमों के कतिपय विधिविरुद्ध-क्रियाकलापों के अधिक प्रभावी निवारण और आतंकवादी क्रियाकलापों से निपटने के लिए और तत्संसक्त विषयों का उपबंध करने के लिए किया गया है ;

और, उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ड) के अनुसार 'आतंकवादी संगठन' से उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध कोई संगठन या इस प्रकार सूचीबद्ध किसी संगठन के रूप में उसके नाम से कार्य करने वाला कोई संगठन अभिप्रेत है;

और, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में ऐसे आतंकवादी संगठनों की सूची अंतर्विष्ट है;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट', लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी आउटफिट के रूप में वर्ष 2019 में अस्तित्व में आया, जो कि उक्त अधिनियम के अधीन पहली अनुसूची के क्रम सं. 5 पर सूचीबद्ध एक निषिद्ध आतंकवादी संगठन है ;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकवादी क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने के लिए ऑनलाइन माध्यम से युवाओं की भर्ती कर रहा है;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकवादी क्रियाकलापों पर प्रोपेगेंडा करने, आतंकवादियों की भर्ती करने, पाकिस्तान से जम्मू-कश्मीर में आतंकवादियों की घुसपैठ और हथियारों तथा मादक पदार्थों की तस्करी में संलग्न रहा है ;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' भारतीय राज्य के विरूद्ध आतंकवादी समूहों में सम्मिलित होने के लिए जम्मू-कश्मीर के लोगों को उकसाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर मनोवैज्ञानिक परिचालनों में संलिप्त है ;

और, शेख सज्जाद गुल, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' का कमांडर है और उसे उक्त अधिनियम की चौथी अनुसूची के अधीन आतंकवादी के रूप में अभिहित किया गया है ;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के क्रियाकलाप भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा और संप्रभुता के लिए घातक हैं;

और, 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' के सदस्यों/सहयोगियों के विरूद्ध सुरक्षा बल कार्मिकों तथा जम्मू-कश्मीर के निर्दोष नागरिकों की हत्या करने की योजना बनाने, निषिद्ध आतंकवादी संगठन का सहयोग करने के लिए हथियारों का समन्वय और परिवहन करने, सुरक्षा बलों पर आतंकवादी हमला करने, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करने, आदि से संबंधित बड़ी संख्या में मामले पंजीकृत किए गए हैं;

और, केंद्रीय सरकार का यह विश्वास है कि 'द रेजिस्टेंस फ्रंट' आतंकवाद में संलिप्त है और इसने भारत में आतंकवाद के अनेक कृत्यों को किया है और उनमें भाग लिया है;

अत: अब, केंद्रीय सरकार, विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिनियम की पहली अनुसूची में क्रम सं. 5 में, "पासबान-ए-अहले हदीस", शब्दों के पश्चात् "/द रेजिस्टेंस फ्रंट और इसके सभी रूप तथा फ्रंट संगठन" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।

[फा.सं. 11034/13/2022/सीटी-1]

प्रवीण वशिष्ट, अपर सचिव

टिप्पण:- विधिविरुद्ध-क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की पहली अनुसूची का अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. का.आ. 1806(अ), तारीख 23 मई, 2019 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th January, 2023

S.O. 45(E).—whereas, the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967) (hereinafter referred to as the said Act) has been enacted to provide for more effective prevention of certain unlawful activities of individuals and associations and for dealing with terrorist activities and for matters connected therewith;

And whereas, as per clause (m) of sub-section (1) of section 2 of the said Act, 'terrorist organisation' means an organisation listed in the First Schedule to the said Act or an organisation operating under the same name as an organisation so listed;

And whereas, the First Schedule to the said Act contains the list of such terrorist organisations;

And whereas, 'The Resistance Front' came into existence in the year 2019 as a proxy outfit of Lashkar-E-Taiba, a proscribe terrorist organisation listed at serial number 5 of the First Schedule under the said Act;

And whereas, the 'The Resistance Front' is recruiting youth through online medium for furtherance of terrorist activities;

And whereas, the 'The Resistance Front' has been involved in carrying out propaganda on terror activities, recruitment of terrorists, infiltration of terrorists and smuggling of weapons and narcotics from Pakistan into Jammu and Kashmir;

And whereas, the 'The Resistance Front' is involved in psychological operations on social media platforms for inciting people of Jammu and Kashmir to join terrorist outfits against Indian State;

And whereas, Sheikh Sajjad Gul is a Commander of 'The Resistance Front' and has been designated as a terrorist under the fourth schedule of the said Act;

And whereas, the activities of 'The Resistance Front' are detrimental for the national security and sovereignty of India;

And whereas, a large number of cases have been registered against the members/associates of 'The Resistance Front' relating to planning of killings of Security Force personnel and innocent civilians of Jammu and Kashmir, co-coordinating and transporting weapons to support proscribed terrorist organisation, terror attack on security forces, killing of innocent persons, etc.;

And whereas, the Central Government believes that the 'The Resistance Front' is involved in terrorism and it has committed and participated in various acts of terrorism in India;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 35 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby makes the following further amendments in the First Schedule to the said Act, namely:-

In the First Schedule to the said Act, in serial number 5, after the words "Pasban-E-Ahle Hadis", the words "/The Resistance Front and all its manifestations and front Organisations" shall be inserted.

[F.No. 11034/13/2022/CT-I]

PRAVEEN VASHISTA, Addl. Secy.

Note: - The First Schedule to the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 was last amended vide the notification number S.O. 1806(E), dated the 23[rd] May, 2019.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2023.01.05 22:21:56 +05'30'